न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस
अपील संख्या – 122/2017/223 आरटीए

1. कुलदीप सिंह पुत्र अमरजीत कौर पत्नि सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी बरूवाला चक 75 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. मनदीप कौर पत्नि गुरदाससिंह (अमरजीत कौर पत्नि सुखदेवसिंह) जाति जटसिख निवासी मलेकान तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– अपीलांट

बनाम

1. सुखपाल कौर पुत्री बलदेव सिंह पत्नि गुरतेज सिंह उर्फ गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल पोहड़का तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

————रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2014 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 85/2014 अनवानी सुखपाल कौर बनाम तहसीलदार

उपस्थित :–

श्री महेन्द्र सिंह संधू अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक 30.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कर चक 17 एनजीसी के खाता सं. 35 मे अंकित कुल भूमि 2.530 है0 मे वादिया एवं उसके पिता बलदेव सिंह का 1.686 हिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादिया माता का निधन हो चुका है। वादिया के पिता के कोई पुरूष औलाद नही है तथा वादिया के पिता द्वारा अपने जीवनकाल मे अपने हिस्से की भूमि की जुबानी वसीयत वादिया के पक्ष मे कर दी। जुबानी वसीयत के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादिया स्वीकार कर डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध है। बलदेव सिंह पुत्र नाहर सिंह की मृत्यु दिनांक 05.01.2011 को हो चुकी है जिसके वारिसान अमरजीत कौर व सुखपाल कौर ही है तथा दलीप कौर पत्नि बलदेव सिंह की मृत्यु दिनांक 06.03.2010 को हो चुकी है। अमरजीत कौर पुत्री बलदेवसिंह की मृत्यु दिनांक 20.07.95 को हो चुकी है जिसके वारिसान अपीलांट ही है। परन्तु रेस्पो0 सं. 1 ने अपीलांट को पक्षकार न बनाते हुए विचारण न्यायालय को गुमराह करते हुए बलदेवसिंह के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि अपीलाधीन डिक्री के जरिये दर्ज करवा ली है। जबकि स्व. बलदेवसिंह के दो पुत्रियां थी जिसमे अमरजीत कौर के वारिसान अपीलांट है तथा अपीलांट आवश्यक पक्षकार थे परन्तु रेस्पो0 सं. 1 ने अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि को जरिये अपीलाधीन डिक्री अपने नाम दर्ज करवा ली है। अधीनस्थ न्यायालय की फर्दअहकाम दिनांक 04.03.2014 मे वकील प्रतिवादी द्वारा राजीनामा पेश करने व राजीनामा का अवलोकन करने व राजीनामा से संतुष्ट होने बाबत लिखा है जबकि अपीलाधीन प्रकरण मे किसी प्रकार का राजीनामा पेश नही किया गया था तथा जब राजीनामा ही पेश नही था ता अवलोकन करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा ना ही रेस्पो0 सं. 2 द्वारा कोई अधिवक्ता नियुक्त किया गया था जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री संदेहप्रद है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी को स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।
4. रेस्पो0 सं. 1 बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।
6. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट

के नाना एवं रेस्पो0 सं. 1 के पिता बलदेवसिंह के नाम से दर्ज थी। बलदेवसिंह की मृत्यु के उपरांत रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि की जुबानी वसीयत बलदेवसिंह द्वारा रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे करने का कथन करते हुए घोषणा अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय वाद वादिया स्वीकार किया गया। जबकि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई वसीयत दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। इस कारण स्व. बलदेवसिंह के नाम से दर्ज भूमि मे उसके वारिसान दो पुत्रियां अमरजीत कौर व रेस्पो0 सं. 1 सुखपाल कौर है जिसमे अमरजीत कौर की मृत्यु हो चुकी है जिसके अपीलांट वारिसान है, का रेस्पो0 सं. 1 के साथ 1/2 हिस्सा के अपीलांट का निहित है तथा अपीलांट अपीलाधीन प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जुबानी वसीयत के आधार पर बिना दस्तावेजी साक्ष्य के बलदेवसिंह के एक वारिस रेस्पो0 स. 1 के पक्ष मे वादग्रस्त भूमि की घोषणा की डिक्री पारित की गई है जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2014 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 07/2007/223 आरटीए

नोपा बेवा हनुमान सिंह जोजा गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– अपीलांट

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. परमेश्वरी पत्नि रेवन्तसिंह जोजा गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी राईया वाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. सरबती पत्नि सुलतान सिंह जोजा गुलाबसिंह जाति राजपूत तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. सब रजिस्ट्रार नोहर।

––––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2006 उपखण्ड अधिकारी नोहर
मु.न. 206/99 अनवानी नोपा बनाम हनुमानसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट, श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 एवं श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2006 अपास्त किया जाता है तथा वाद वादिया डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना के खसरा नं. 388 की 33.19 बीघा, खसरा नं. 425 की 8.04 बीघा कुल 42.03 बीघा भूमि मे वादिया/अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 1 ता 3 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त चक की भूमि से मालसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 27.09.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ